

an>

Title: Need to reduce GST rate on marble granite tiles.

श्री चन्द्र प्रकाश जोशी (वित्तीङ्गङ) : महोदया, आपने मुझे जीरो और में बोलने का मौका दिया, इसके लिए आपका धन्यवाद। एक जुलाई 2017 इस देश के लिए एक ऐतिहासिक दिन था। आर्थिक क्रांति के रूप में पूरा देश इस सांस्कृतिक निर्णय को मानता है और पूरे देश की जनता देश के यशस्वी प्रधानमंत्री को धन्यवाद देती है। पहले देश की जनता और व्यापारियों को अनेक तरफ के करों का सामना करना पड़ता था, अब यह एक देश-एक कर का बहुत बड़ा ऐतिहासिक निर्णय देश के प्रधानमंत्री ने इस देश को दिया है। मेरे संसदीय क्षेत्र विरोड़ ही नहीं, पूरे गजरस्थान में एकीकृत्वर के बाट सबसे प्रमुख उद्योग कोई है, तो वह मार्बल उद्योग है। मेरे संसदीय क्षेत्र में और पूरे गजरस्थान में तगड़ा चार छजार माइन्स हैं और छजारों ग्रेनाइट और मार्बल के जैंबरों हैं। छोटे दस छजार से ज्यादा नहर हैं।

महोदया, कई दीजों के टैक्स में, करों में मानवीय भूत होने के कारण कई निर्णयों में सुधार किया गया है और कई दीजों में सुधार करके वापस उस निर्णय को सरकार ने बदला है। मार्बल एक बहुत बड़ा उद्योग है और गजरस्थान में केन्द्र सरकार ने वैसे भी मार्बल के ऊपर एक्साइज में क्लूट दे रखी है और मार्बल एक ऐसा उद्योग है, जो सूक्ष्य एवं तथ्य उद्योग की श्रेणी में आता है, जिसमें तीन परसेंट एक्साइज लगती है। मेरी आपके माध्यम से सरकार से माँग है कि मार्बल उद्योग में कर निर्धारण में जो तुटियाँ ढुई हैं, उसको सुधार करते हुए, जिस 28 परसेंट में मार्बल उद्योग को दिया जाया है, उस पर निर्णय किया जाये। ऐसा ठीं क्षमारे निम्बाड़ा स्टोन और टैक्साइल उद्योग में भी है। मेरी आपके माध्यम से सरकार से माँग है कि निश्चित रूप से उस क्षेत्र के हित को देखते हुए उस पर निर्णय

माननीय अध्यक्ष :

श्री भैरों प्रसाद मिश्र और

कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देता को श्री चन्द्र प्रकाश जोशी द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबंध करने की अनुमति पूछन की जाती है।